प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

विषयः- बस्ती, अलीगढ़, देवीपाटन व मिर्जापुर मण्डलों मे संयुक्त विकास आयुक्त के पद सृजन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में ग्राम्य विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-255/38-1-2001-6 पी/99, दिनांक 28.11.2001 द्वारा 07 या 07 से कम विकास खण्डों वाले जनपदों में प्रादेशिक विकास सेवा के मुख्य विकास अधिकारियों की तैनाती हेतु 17 जनपद (कासगंज सहित) चिन्हित थे। इसके अतिरिक्त उक्त नियमावली के परिशिष्ट में संयुक्त विकास आयुक्त के 10 पद सृजित थे।

2- नियुक्ति विभाग के शासनादेश संख्या-3268/दो-2-2014-19/2(24)/2013, दिनांक 26.08.2014 द्वारा प्रदेश के 28 जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी के पदों पर एवं प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों के संयुक्त विकास आयुक्त के पदों पर ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों की तैनाती हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित किये गये हैं 'कि कालान्तर में इन पदों पर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 अधिकारियों की तैनाती की जाती है तो वहॉ तैनात मुख्य विकास अधिकारी/संयुक्त विकास आयुक्त स्वतः कार्यमुक्त होंगे तथा उनकी तैनाती वैकल्पिक पदों पर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पृथक से की जायेगी।

3- नियुक्ति विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 26.08.2014 में प्राविधानित व्यवस्था के दृष्टिगत ही वैकल्पिक पदों के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त प्रादेशिक विकास सेवा के संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी (वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 7600/-) के सादृश्य कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास (मुख्यालय) के स्तर पर 19 संयुक्त आयुक्त के गतिमान (Floating) पदों का सृजन शासनादेश संख्या-280/38-1-2015-3582/2002,दिनांक 11.02.2015 द्वारा किया गया है।

4- उक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बस्ती, अलीगढ़, देवीपाटन व मिर्जापुर मण्डलों मे संयुक्त विकास आयुक्त के पद सृजन के विभागीय आदेश न होने के कारण प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के अधिकारियों की इन पदों पर तैनाती होने पर वेतन भुगतान हेतु यह आपत्ति की जाती है कि पद सृजित नहीं है। 2/-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 26.08.2014 के अनुक्रम में इन मण्डलों में संयुक्त विकास आयुक्त का पद प्रत्येक दशा मे सृजित समझा जायेगा चाहे इन पदों पर अखिल भारतीय सेवा/प्रान्तीय सिविल सेवा का कार्मिक तैनात हो अथवा प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग का। संयुक्त विकास आयुक्त के इन पदों पर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 अधिकारियों की तैनाती होने पर पी0डी0एस0 संवर्ग के अधिकारी स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेंगे।

6- उक्त आदेश नियुक्ति/वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सहदेव
विशेष सचिव।

संख्या-11/2017/1469(1)/38-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण)/अनुभाग-2
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
7. नियुक्ति अनुभाग-1/2
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।